ग्राम - चकराय प्रस्थ

OSD/13/2011-12/17207
SDO/24/2011-12/17207

XX (a)-A-145

Rev.-- Hindi

रकबा 32293 व.फु.
आदेश 2-12-2011

पुस्तक क्र.
सर्वे - 89/2 मि.

7488

फॉर्म--तीन

[परिपत्र दो-४ की कंडिका ३ देखिये]

रसीद का फॉर्म (दो प्रतियों में).

रसीद क्र.

115

राजस्व मामला या अन्य कार्यवाही क्रमांक सम्पूर्ण शाप गया

श्री शिक्षा कल्याण समिति द्वारा कोषाध्यक्ष श्रीमति

श्री अंजू गुप्ता पत्नी गणेश गुप्ता अध्यक्ष श्रीमति द्वारा

रुपये आरती सोनी पत्नी दीपेन्द्र आदि नि. ग्वालियर (अंकों और

शब्दों में) प्राप्त हुए. भू-भाटक वर्ष 2011-12 से वार्षिक रु. 872 = 0

अन्य विवरण पंचायत कर रु. 436 = 0

प्रीमियम रु. 30356 = 0

योग 31664 = 0

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर इकतीस हजार छै सौ चौंसठ मात्र/ या अंगूठे का निशान.

रकम प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

Officer on Special Duty
(Diverted Lands)
Gwalior (M.P.)

तारीख 23/1/2012

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर

एस.डी.ओ.प्र.क्र. 24 /2011-12/ 172 (1)
ओ.एस.डी.प्र.क्र. 13 /2011-12 / 172 (1)

प्रधान प्रतिलिपिकार
कार्यालय कलेक्टर
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

सम्पूर्ण ज्ञान गंगा शिक्षा कल्याण समिति द्वारा अध्यक्ष श्रीमती आरती सोनी पत्नी दीपेन्द्र सोनी सचिव अश्विनी जैन पुत्र स्व.श्री एस.सी.जैन कोषाध्यक्ष श्रीमती अंजू गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता निवासी दीनदयाल नगर ग्वालियर

..... **प्रार्थी**

विरूद्व

म.प्र.शासन .....**प्रतिप्रार्थी**

कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर (म.प्र.) प्रतिलिपि शाखा

आदेश पारित दिनांक 02-12-2011

आवेदक सम्पूर्ण ज्ञान गंगा शिक्षा कल्याण समिति द्वारा अध्यक्ष श्रीमती आरती सोनी पत्नी दीपेन्द्र सोनी सचिव अश्विनी जैन पुत्र स्व.श्री एस.सी.जैन कोषाध्यक्ष श्रीमती अंजू गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता निवासी दीनदयाल नगर ग्वालियर द्वारा ग्राम चक रायपुर पटवारी हलका नं. 56 तहसील व जिला ग्वालियर के सर्वे क्रमांक 89 मि/कुल रकवा 0.300 हेक्टेयर यानि 32293 वर्गफुट भूमि पर शैक्षणिक कार्य उपयोग हेतु डायवर्सन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के तहत पंजीबद्व किया गया।

राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। प्रकरण में कम्प्यूटराईज्ड नकल खसरा वर्ष **2010–11** की छायाप्रति एवं भूमि उपयोग मत की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में संलग्न कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर का पत्र क्रमांक 2809/न.ग्रा.नि./UO17781/ 2011 ग्वालियर दिनांक **23.9.2011** द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर ग्वालियर विकास योजना 2005 के अनुसार ग्वालियर निवेश क्षेत्र सीमा के बाहर तथा नवीन निवेश क्षेत्र सीमा के अन्दर होकर व्यापक रूप से कृषि है।

एस.एल.आर.डायवर्सन से प्रतिवेदन लिया गया, जिसमें डायवर्सन किये जाने की अनुशंसा की गई है। इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि व्यवसायिक शैक्षणिक प्रयोजन हेतु व्यवसायिक दर से डायवर्सन की अनुज्ञा देने पर रकवा **32293** वर्गफुट भूमि पर वार्षिक परिवर्तित भू–राजस्व रूपये **872** /– पंचायत उपकर **436**/– एवं प्रीमियम रूपये **30356**/– इस प्रकार कुल रूपये **31664**/– वर्ष **2011–12** से आवेदक पर देय होगा।

प्रकरण में संलग्न समस्त अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा यह माना गया कि आरोपित शर्तो के साथ प्रश्नाधीन भूमि पर व्यवसायिक कार्य हेतु डायवर्सन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। अतः म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर निम्न शर्ते आरोपित करते हुए (शैक्षणिक कार्य) व्यवसायिक उपयोग हेतु डायवर्सन की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

निरन्तर 2/–

सम्पूर्ण ज्ञान गंगा शिक्षा कल्याण समिति द्वारा
अध्यक्ष श्रीमती आरती सोनी पत्नी दीपेन्द्र सोनी
सचिव अश्विनी जैन पुत्र स्व.श्री एस.सी.जैन
कोषाध्यक्ष श्रीमती अंजू गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता
निवासी दीनदयाल नगर ग्वालियर

1– आवेदक अधीक्षक डायवर्सन की गणना अनुसार ग्राम **चक रायपुर** के भूमि सर्वे क्रमांक 89/कुल रकवा **32293** वर्गफुट भूमि के व्यवसायिक व्यपवर्तन की परिवर्तित भू–राजस्व रूपये **872**/– पंचायत उपकर **436**/–एवं प्रीमियम **30356**/– राशि राजकीय कोष में जमा करें तथा आगामी वर्ष से राजकीय कोष मे परिवर्तित भू– राजस्व **872** रूपये तथा पंचायत उपकर **436** रूपये जमा करना सुनिश्चित करें।

2– आवेदक कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर / स्थानीय निकाय से प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

3– स्थल पर लोक न्यूसेंस की गतिविधि वर्जित है तथा सामाजिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

4– स्थानीय निकाय के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना होगा।

5– पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत निर्मित समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होने पाए।

6– आवेदक म.प्र.विर्निदिष्ट सिविल आचरण अधिनियम में वर्णित नियमों का पूर्ण पालन करेगें।

7– निर्माण के दौरान शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो।

8– निर्माण के पूर्व भवन की ऊंचाई, छज्जों आदि का निर्माण तथा विन्यास मुताबिक खाली स्थान छोड़ा जाना तथा निर्धारित " फ्लोर एरिया" अनुपात का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

9– यदि व्यपवर्तन अनुज्ञा आदेश पारित करने के उपरान्त प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

10– आवेदक को म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा म.प्र. भू–विकास नियम 1984 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा बताये गए भू उपयोग अनुसार ही निर्माण करना होगा। यदि मास्टर प्लान के अनुरूप निर्माण नही होता है तो यह व्यपवर्तन आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई अधिरोपित राशि (परिवर्तित भू राजस्व, प्रीमियम, आदि) वापसी योग्य नही होगी।

11– आवेदक अन्य संबंधित विभाग से भी निर्माण पूर्व आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर दी गयी डायवर्सन की अनुमति निरस्त की जाएगी। "बी" नोटिस जारी हो। " बी–1" में अमल हो। प्रकरण दायरा से कम हो तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु एस.एल.आर. डायवर्सन को वापस किया जाए।

अनुविभागीय अधिकारी
ग्वालियर